

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(डीजीएस)/अलेसे -III/ 8165-72

दिनांक :- 26/5/2015

आदेश संख्या: 20/2014-15

श्री नवल किशोर शर्मा, (लिंक नं. 6052) कनिष्ठ लेखाकार को विभागीय आदेश संख्या 262-72 दिनांक 04.01.2002 के द्वारा दिनांक 19.10.2001 से निलम्बित किया गया था।

कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157) कार्मिक/क-3/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु.3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23)प्र.सुं./अनु/3/99/दि० 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन से बहाली की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 17.04.2015 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी जिसका कार्यवाही विवरण वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2 (3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 29.04.2015 के द्वारा जारी किया गया है, उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार समिति द्वारा श्री नवल किशोर शर्मा, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल करने का निर्णय लिया गया है। अतः श्री नवल किशोर शर्मा, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाकर इन्हें पारिवारिक न्यायालय, बारां में पदस्थापित किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण व लम्बित विभागीय जांच के निर्णय के अधीन किया जावेगा।

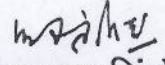

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(डीजीएस)/अलेसे -III/ 8165-72

दिनांक :- 26/5/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, बून्दी।
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
4. श्री नवल किशोर शर्मा, (लिंक नं. 6052) कनिष्ठ लेखाकार मुख्यालय मुख्यालय कोषालय, बून्दी।
5. एसीपी कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-II कार्यालय हाजा।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)